



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 09.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय एसओजी, थाना मोहाना व चिल्हिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ₹25000/- के इनामिया गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में व सुजीत राय, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण व रामदेव थानाध्यक्ष चिल्हिया के नेतृत्व में मु०अ०सं० 33/2025 धारा 303(2),61(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अकबर उर्फ गूठे पुत्र हजारी बंजारा ग्राम गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर जो काफी समय से फरार चल रहा था जिसपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 06.06.2025 को 25000/- रूपया पुरस्कार घोषित किया गया था । उपरोक्त वांछित अभियुक्त को गोपीजोत गांव के बाहर पक्की सड़क की पुलिया के पास थाना क्षेत्र मोहाना से थाना चिल्हिया, मोहाना एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.अकबर उर्फ गूठे पुत्र हजारी बंजारा ग्राम गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु०अ०सं० 99/2018 धारा 3 /5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश

02.मु०अ०सं० 72/2019 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ०नि० रामदेव थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.उ०नि० रोहित उपाध्याय थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.उ०नि० जीवन त्रिपाठी प्रभारी एसओजी जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.उ0नि0 सर्वेशचन्द थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

05.का0 राजन सिंह व का0 मनोज यादव,मंजीत सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

06.हे0का0 राजीव शुक्ला, मनोज राय, दिलीप कुमार, आशुतोषधर दूबे,

07.का0 छविराज यादव, का0 सत्येन्द्र यादव, का0 रोहित चौहान एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।

08. का0 दिनेश यादव व का0 आलोक यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 09.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

- ◆ जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया हिस्ट्रीशीटर चेकिंग अभियान ।
- ◆ समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों के हिस्ट्रीशीटरों की गयी चेकिंग ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा हिस्ट्रीशीटर चेकिंग अभियान चलाये जाने के आदेश के क्रम में अपराध की रोकथाम हेतु दिनांक 08/09-06-2025 की रात्रि को अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों के अन्तर्गत 547 हिस्ट्रीशीटर की चेकिंग की गयी । अभियान के तहत चेकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों की भी जानकारी ली गयी तथा उन्हें आवश्यक हिदायत दी गयी ।

प्रेस नोट दिनांक 09.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना बांसी पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व प्रवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन व संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक- 09.06.2025 को बांसी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी द्वारा निर्गत वारण्ट वाद संख्या 3211/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी शम्भू पुत्र सूरज तथा वाद संख्या 10198/22 धारा 138 NI Act से सम्बन्धित वारण्टी अमन श्रीवास्तव पुत्र वीरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण-

- 01.शम्भू पुत्र सूरज निवासी रानीलक्ष्मीनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.अमन श्रीवास्तव पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी पटखौली थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01.उ०नि० श्री राजनाथ सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- 02.उ०नि० स्वामीनाथ भास्कर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- 03.हे०का० सुनील दूबे थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04.का० पन्नेलाल गुप्ता थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 09.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय एसओजी व थाना जोगिया उदयपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण व अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर के नेतृत्व में मय स्वाट टीम के साथ आज दिनांक 09.06.2025 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना जोगिया उदयपुर से 01 नफर वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु०अ०सं० 126/2025 धारा 2(ख)(17) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के मुकदमे में चल रहे वांछित को फजिहतवा नाला से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-चिरागुद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन निवासी मोहल्ला वार्ड नं० 12 हबीबुल्लाह नगर कस्बा डुमरियागंज थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

01.अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.उ०नि० जीवन त्रिपाठी एसओजी प्रभारी जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.हे०का० आशुतोष धर दूबे एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.का० रोहित चौहान एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

05.का० प्रदीप उपाध्याय, विरेन्द्र यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹65,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 09.06.2025 को वाद सं० 13/2016 मु०अ०सं० 283/2016 धारा- 376,366,363 भा०द०वि० व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मिश्रौलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र उर्फ कालिया पुत्र रामसुरेश निवासी भरभरसाफा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹65,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अमरजीत सिंह थाना मिश्रौलिया का सहायनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 09.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को 01 वर्ष के साधारण कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 09-06-2025 को ST.N 1144/2021 मु०अ०सं० 232/2019 धारा 323,504,308,506 भा०द०वि० थाना शोहरतगढ़ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मो० रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त इरशाद पुत्र दान बहादुर निवासी धनौरा मुस्तकहम थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 324,504 भा०द०वि० में 01 वर्ष के साधारण कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अपर जिला शासकिय अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी उदय साहनी थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा ।